

परियोजना का नाम :— रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 हैं भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-18

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/-  
वन विभाग

*Deputy*  
सहायक महाप्रबन्धक  
उत्तराखण्ड परिवाहन निगम  
रामनगर

*52*  
मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)  
उत्तराखण्ड परिवाहन निगम कुमाऊ  
मण्डल, काठगोदाम।

*Deputy*  
वन विभागीय कारी  
कोरी वन क्षेत्र  
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)  
नैनीताल

*Deputy*  
उपप्रभागीय वनाधिकारी  
उष प्रभागीय वनाधिकारी  
(रामनगर)  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रभागीय वनाधिकारी  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर